

हो। तहसीलदार रियांबड़ी से रास्ते के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई जावे।  
अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस के तलब किया जाकर  
पत्रावली दिनांक 13.07.2024 को पेश हो।

रा. प्रा.पत्र संख्या

सहायक कलक्टर

अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

रियांबड़ी

317/24 - नबील उषी ने डा.पत्र पेशकर  
निवेदन किया गया की प्राची प्रा.पत्र को  
भागे चलाया नहीं पाएगा ही इसलिए आज  
की प्राची में ली जाकर जरिये निवेदन खासिज

फर्मावे। नबील उषी को सुना गया। प्रकृष्ट पत्र  
खासिज किया जाकर प्रा.पत्र को आज प्राची पर  
रखा गई। नबील उषी ने बताया की प्राची को  
प्रा.पत्र को भागे चलाया नहीं पाएगा ही केरे  
जरिये निवेदन को खासिज चलाना चाहेगा ही  
कतः प्रा.पत्र खासिज किया जावे। नबील उषी  
प्राची को बहुत पर धनन किया गया। प्रा.पत्र  
का अन्यायकन किया गया। प्राची अपने प्रा.पत्र  
को भागे चलाया नहीं पाएगा ही इसलिए प्राची  
का प्रा.पत्र 251 A का जरिये निवेदन को  
खासिज किया जाता है। प्रा.पत्र को जल्द सुमाए  
धनन वाद जाला कार्यवाही को नंबर के काम  
धनन कार्यवाही के लिए है।

उपखण्ड अधिकारी  
रियांबड़ी(नागौर)